संख्या-35/2018/1561 ई-2/तेरह-2018-82/2004

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 18 मई,2018**

विषय:-मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), बरकतपुर, बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 75 कि0ली0 प्रतिदिन से बढ़ाकर 150 कि0ली0 प्रतिदिन अर्थात् 450 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-133/दो-प्रा0डी0-76, दिनांक 16 अप्रैल,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अप्रैल,2018 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राजस्व/उद्योगहित के दृष्टिगत मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), बरकतपुर, बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 75 कि0ली0 प्रतिदिन से बढ़ाकर 150 कि0ली0 प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल अर्थात् वर्ष में 450 लाख लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल वार्षिक किये जाने तथा बाजार की मांग के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई0एन0ए0, अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस0डी0एस0 का विक्रय किये जाने की एतद्वारा अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स की शर्तों का अनुपालन आसवनी द्वारा किया जायेगा तथा आसवक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in